महिलाओं के स्मार्टफोन पर प्रतिबंध: पितृसत्ता और संवैधानिक नैतिकता का

UPSC प्रासंगिकता

- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र I:** सामाजिक परिवर्तन, पितृसत्ता, जातिगत संस्थाएं।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II:** मौलिक अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC), शासन व्यवस्था।
- **सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र IV:** नीतिशास्त्र, स्वायत्तता, सामाजिक बनाम संवैधानिक नैतिकता।

IAS-PCS Institute

चर्चा में क्यों?

राजस्थान के जालौर जिले में एक **जाति पंचायत** ने महिलाओं द्वारा कैमरे वाले स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फरमान जारी किया और केवल 'बेसिक फोन' के उपयोग की अनुमति दी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद इस आदेश को वापस ले लिया गया। यह घटना डिजिटल सशक्तिकरण और पितृसत्तात्मक सामाजिक नियंत्रण के बीच टकराव को उजागर करती है।

पृष्ठभूमि: ग्रामीण भारत में स्मार्टफोन—सशक्तिकरण या पितृसत्तात्मक चिंता?

भारत के डिजिटल विस्तार ने शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों की महिलाओं के लिए स्मार्टफोन सामाजिक भागीदारी का एक साधन बना है। हालाँकि, जाति-प्रधान ग्रामीण परिवेश में, स्मार्टफोन "नैतिक संकट" (moral panic) का प्रतीक बन गए हैं। जहाँ महिलाओं के लिए यह सीखने की जीवन रेखा है, वहीं स्थापित सत्ता संरचनाओं के लिए यह लैंगिक मानदंडों और विवाह प्रथाओं के लिए एक चुनौती है।

फरमान की प्रकृति: संविधानेतर प्राधिकरण और चयनात्मक प्रतिबंध

यह आदेश एक जाति पंचायत से आया था, जो एक **संविधानेतर संस्था** (Extra-constitutional body) है। ये संस्थाएं सामाजिक बहिष्कार, दंड और ओस्ट्रैसिज़्म (जाति से बाहर करना) के माध्यम से अपना नियंत्रण लागू करती हैं।

नियंत्रण का लैंगिक तर्क:

- **चयनात्मक लक्ष्य:** यह प्रतिबंध केवल महिलाओं पर लागू किया गया, पुरुषों पर नहीं।
- **दायरा:** यह बच्चों तक सीमित नहीं था, बल्कि वयस्क महिलाओं पर भी लागू था।
- **तर्क:** इसे 'बाल कल्याण' और 'नैतिकता' के नाम पर सही ठहराने की कोशिश की गई। यह चयनात्मकता दर्शाती है कि समाज में पुरुषों की डिजिटल पहुँच को सामान्य माना जाता है, जबकि महिलाओं की पहुँच को शर्तों के अधीन रखा जाता है।

भारत का लैंगिक डिजिटल विभाजन: डेटा और परिणाम

यह घटना एक व्यापक संरचनात्मक डिजिटल विभाजन को दर्शाती है:

- **डेटा (ASER 2024):** ग्रामीण भारत में पुरुषों के पास स्मार्टफोन का स्वामित्व महिलाओं की तुलना में काफी अधिक है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और भी गहरा है।
- **परिणाम:** ऑनलाइन शिक्षा, अधिकारों की जानकारी और डिजिटल अर्थव्यवस्था में भागीदारी सीमित हो जाती है, जिससे लैंगिक असमानता और बढ़ती है।

सहमति या जबरदस्ती? पितृसत्तात्मक "सहमति" को समझना

गांव के बुजुर्गों ने दावा किया कि महिलाओं ने स्वयं इस प्रतिबंध की मांग की थी। लेकिन:

- यह "सहमति" सत्ता के डर के नीचे व्यक्त की गई थी।
- असहमति जताने पर सामाजिक दंड का जोखिम होता है।
- कई महिलाओं ने इन प्रतिबंधों को आंतरिक रूप से सामान्य मान लिया है। यह **"निर्मित सहमति"** (Manufactured Consent) है, स्वतंत्र चुनाव नहीं।

बाल कल्याण से नैतिक पुलिसिंग तक: वास्तविक उद्देश्य

हालांकि इसे स्क्रीन एडिक्शन (लत) रोकने के उपाय के रूप में पेश किया गया, लेकिन असली चिंताएं निम्नलिखित थीं:

- महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया का उपयोग।

- जाति की सीमाओं से परे संबंध बनाना।
- पारंपरिक विवाह प्रणालियों (जैसे 'साटा-वाटा' विवाह) को चुनौती देना। स्मार्टफोन महिलाओं को अपनी पहचान व्यक्त करने और नेटवर्क बनाने में सक्षम बनाता है, जो पारंपरिक पदानुक्रम को असुरक्षित महसूस कराता है।

मौलिक अधिकारों और संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन

यह फरमान निम्नलिखित संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है:

IAS-PCS Institute

- **अनुच्छेद 14:** कानून के समक्ष समानता।
- **अनुच्छेद 15:** लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध।
- **अनुच्छेद 19(1)(a):** भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद 21:** गरिमा के साथ जीवन जीने, निजता और स्वायत्तता का अधिकार।

पुट्टास्वामी और **शाफीन जहां** जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि व्यक्तिगत पसंद और गरिमा स्वतंत्रता के अभिन्न अंग हैं। यहाँ **संवैधानिक नैतिकता** (Constitutional Morality) को सामाजिक नैतिकता (Social Morality) पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

राज्य की प्रतिक्रिया: प्रतिक्रियाशील शासन

अधिकारियों ने NHRC के हस्तक्षेप के बाद आदेश वापस तो करवा दिया, लेकिन यह प्रतिक्रिया "रिएक्टिव" थी:

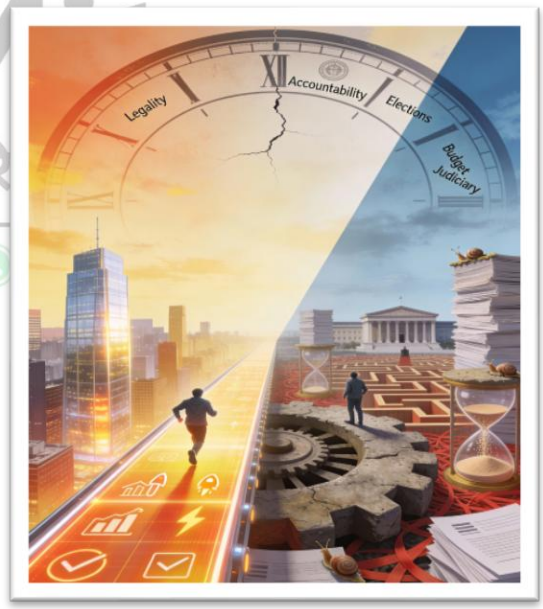

- संविधानेतर निकायों की संस्थागत शक्ति के खिलाफ सीमित कार्रवाई।
- महिला सशक्तिकरण के साथ निरंतर जुड़ाव का अभाव। दीर्घकालिक सुधार के लिए केवल घटना-आधारित कार्रवाई के बजाय सक्रिय शासन (Proactive Governance) की आवश्यकता है।

आगे की राह: डिजिटल प्रतिबंध से डिजिटल समावेशन तक

अल्पकालिक उपाय:

- संविधानेतर फरमानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई।

- महिलाओं के डिजिटल और संवैधानिक अधिकारों पर कानूनी साक्षरता अभियान।

मध्यम अवधि के उपाय:

- महिलाओं के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, न कि उन पर प्रतिबंध।
- समुदाय के भीतर संवाद, जिसमें महिलाएं समान हितधारक हों।

दीर्घकालिक उपाय:

IAS-PCS Institute

- शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करना।
- महिला-केंद्रित डिजिटल समावेशन में निवेश करना।
- जबरदस्ती के बजाय सशक्तिकरण के माध्यम से सामाजिक सुधार।

निष्कर्ष

जालौर की यह घटना दिखाती है कि तकनीक पितृसत्ता का नया मोर्चा है। स्मार्टफोन महिलाओं को आवाज, दृश्यता और विकल्प प्रदान करते हैं—यही कारण है कि इसका विरोध हो रहा है। भारत का लोकतांत्रिक वादा उन सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ सह-अस्तित्व में नहीं रह सकता जो वयस्क महिलाओं की स्वायत्तता को नकारती हैं। चुनौती स्क्रीन को नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि सामाजिक शक्ति को संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप लाने की है।

Result Mitra
रिजल्ट का साथी

UPSC मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

@resultmitra www.resultmitra.com 9235313184, 9235440806

प्रश्न: "संविधानेतर सामाजिक संस्थाएं अक्सर परंपरा और कल्याण के नाम पर प्रतिबंधात्मक मानदंडों को उचित ठहराती हैं, लेकिन वास्तव में, वे लैंगिक नियंत्रण को ही सुदृढ़ करती हैं।" हाल ही में राजस्थान में जाति पंचायत द्वारा महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर प्रतिबंध के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इसके संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक निहितार्थों पर चर्चा करें और आगे की राह सुझाएं। (250 शब्द | GS Paper 2 / GS Paper 1)